BACKGROUNDERS
Press Information Bureau
Government of India

ग्रेट निकोबार परियोजना

सामरिक महत्व, सतत वकास

1 मई, 2026

मुख्य बिंदु

- ग्रेट निकोबार परियोजना का उद्देश्य इस द्वीप को एक रणनीतिक समुद्री और आ थर्क केंद्र के रूप में परिवर्तित करना है। पूर्व-पश्चिम श पंग मार्ग से इसकी निकटता (लगभग 40 नॉटिकल मील) का लाभ उठाते हुए, यह परियोजना वदेशी ट्रांस शपमेंट बंदरगाहों पर निर्भरता को कम करेगी। साथ ही, रक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा के उद्देश्यों को सर्वोपरि रखते हुए यह भारत की समुद्री सीमाओं को नई मजबूती प्रदान करेगी।
- इस परियोजना में प्रमुख इंफ्रास्ट्रक्चर कंपोनेंट्स शा मल हैं: 14.2 म लयन ट्वेंटी फुट इक्विवेलेंट यूनिट (एमटीईयू) क्षमता वाला एक इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांस शपमेंट ट र्मनल, एक ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट (4000 पीक आवर पैसेंजर्स क्षमता), 450 एमवीए गैस-सोलर पावर प्लांट और एक प्लान्ड टाउन शप।
- यह वकास एक रेगुलेटेड एनवायरमेंटल फ्रेमवर्क के अंतर्गत कया जा रहा है, जिसमें ईआईए नोटि फकेशन 2006 और आईसीआरजेड नोटि फकेशन 2019 के तहत मंज़ूरी प्राप्त की गई है। इस परियोजना में 42 कम्प्लायंस कंडीशंस का पालन अनिवार्य है। इसके तहत द्वीप के केवल 1.82 प्रतिशत फॉरेस्ट कवर का डायवर्जन कया जाएगा, जिसके बदले में 97.30 वर्ग कमी क्षेत्र में क्षतिपूर्ति वनीकरण की योजना बनाई गई है।
- जनजातीय कल्याण इस परियोजना के केंद्र में है, जिसके अंतर्गत शोंपेन और निकोबारी समुदायों के लए कसी भी प्रकार का वस्थापन प्रस्ता वत नहीं है। इसके अतिरिक्त, पुनः अ धसूचना उपायों

के माध्यम से अ धसू चत जनजातीय आर क्षत क्षेत्र के कुल दायरे में शुद्ध वृद् ध सुनिश्चित की जा रही है।

परिचय

ग्रेट निकोबार परियोजना एक सामरिक पहल है, जिसका उद्देश्य अंडमान सागर और द क्षण-पूर्व ए शया में भारत की उपस्थिति को सशक्त बनाना है। यह परियोजना बंदरगाह-आधारित वकास और सटीक पर्यावरणीय सुरक्षा उपायों के साथ-साथ स्थानीय मूल समुदायों के संरक्षण के बीच एक आदर्श संतुलन स्था पत करने का प्रयास करती है। सामरिक, आ र्थक और पर्यावरणीय प्राथ मकताओं के अनूठे संगम के माध्यम से, यह परियोजना सुनिश्चित करती है क ग्रेट निकोबार का वकास न केवल समावेशी और सतत हो, बल्कि राष्ट्रहित के भी पूर्णतः अनुरूप हो।

इस परियोजना में शा मल हैं:

1. इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांस शपमेंट ट र्मनल (आईसीटीटी), जिसकी क्षमता 14.2 म लयन टीईयू (ट्वेंटी-फुट इक्विवैलेंट यूनिट) है।
2. ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसकी क्षमता व्यस्त समय में 4000 पैसेंजर्स प्रति घंटा होगी। ऊर्जा की आवश्यकताओं को पूरा करने के लए 450 एमवीए (मेगावोल्ट एम्पीयर) क्षमता का एक हाइब्रिड बिजली संयंत्र, जो प्राकृतिक गैस और सौर ऊर्जा के स्वच्छ स्रोतों पर आधारित होगा।
3. लगभग 16,610 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला एक नया टाउन शप।

यह वकास कार्य एक संवेदनशील और समग्र ष्टिकोण पर आधारित है, जिसमें स्थानीय मूल समुदायों की आवश्यकताओं और द्वीप के पर्यावरणीय संसाधनों के संरक्षण को सर्वोपरि रखा गया है। यह योजना सामाजिक, सांस्कृतिक और पर्यावरणीय प्रभावों का सूक्ष्मता से मूल्यांकन करती है तथा ऐसे वकल्पों को प्राथ मकता देती है जो पर्यावरणीय, सामाजिक और आ र्थक लक्ष्यों के मध्य एक आदर्श संतुलन स्था पत करते हों।

ग्रेट निकोबार परियोजना के प्रमुख इंफ्रास्ट्रक्चर कंपोनेंट्स

1. इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांस शपमेंट ट र्मनल

भारतीय बंदरगाहों में वशालकाय पोतों के लए आवश्यक गहराई वाले बर्थ की कमी है। इसी कारण, भारतीय कार्गो को कोलंबो और संगापुर के माध्यम से भेजा जाता है, जिसके परिणामस्वरूप भारत को भारी राजस्व की हानि होती है। म्यांमार, चीन और श्रीलंका जैसे पड़ोसी देश इस समुद्री व्यापार पर अपना वर्चस्व स्था पत करने के लए तीव्रता से गहरे पानी की बुनियादी सु वधाओं का वस्तार कर रहे हैं।

इस संदर्भ में, आईलैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत ग्रेट निकोबार द्वीप के समग्र वकास के हिस्से के रूप में गैला थया बे में इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांस शपमेंट पोर्ट (आईसीटीपी) वक सत कया जा रहा है। प्रस्ता वत हवाई अड्डे, टाउन शप और पावर प्लांट के साथ मलकर, गैला थया बे ट्रांस शपमेंट पोर्ट पूरे ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट के एक प्रमुख बुनियादी ढांचागत घटक के रूप में स्था पत है। यह बंदरगाह सामरिक   ष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है क्यों क यह ईस्ट-वेस्ट इंटरनेशनल श पंग रूट के अत्यंत निकट (लगभग 40 नॉटिकल मील की दूरी पर) स्थित है और यहाँ 20 मीटर से अ धक की प्राकृतिक गहराई है। अपनी इसी रणनीतिक स्थिति के कारण यह 'गेटवे' और 'ट्रांस शपमेंट' दोनों प्रकार के कार्गो को आक र्षत करने में सक्षम है, जिससे कोलंबो, संगापुर और क्लांग जैसे वदेशी बंदरगाहों पर भारत की निर्भरता कम होगी। इस परियोजना को भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा उपस्थिति को सु ढ़ करने, द्वीपों की आ र्थक स्थिति को मजबूत करने और इस क्षेत्र के समग्र वकास को गति देने के लए तैयार कया गया है।

2. ग्रीनफील्ड अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा

इस द्वीप पर वश्व स्तरीय पर्यावरणीय संसाधन उपलब्ध हैं, जो भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों को आक र्षत करने की अपार क्षमता रखते हैं। कनेक्टि वटी में सुधार और द्वीप को पर्यटन के लए खोलने हेतु एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अनिवार्य है। भौगो लक   ष्टि से यह द्वीप सेनैंग सटी, फुकेत द्वीप और लंगकावी द्वीप जैसे प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थलों के अत्यंत निकट है। वर्तमान में पोर्ट ब्लेयर हवाई अड्डा सालाना लगभग 1.8 म लयन यात्रियों का आवागमन संभालता है। ऐसी संभावना है क नया हवाई अड्डा अपने उद्घाटन के समय कम से कम 1 म लयन यात्रियों को सेवा प्रदान करेगा, जिसकी संख्या भ वष्य में बढ़कर 10 म लयन यात्री प्रति वर्ष तक पहुँचने का अनुमान है।

3. टाउन शप और सुनियोजित नगरीय वकास

इस प्रस्ता वत टाउन शप का उद्देश्य द्वीप के बंदरगाह-आधारित वकास से उत्पन्न होने वाली आवासीय, वा णज्यिक और संस्थागत आवश्यकताओं को पूरा करना है। यह समग्र एकीकृत वकास ढांचे के अनुरूप, कार्यरत क र्मयों, सेवा प्रदाताओं और संबं धत आ र्थक गति व धयों के लए आवश्यक शहरी बुनियादी ढांचा प्रदान करेगी।

4. पावर प्लांट

ट्रांस शपमेंट ट र्मनल, हवाई अड्डे और संबं धत शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर के सुचारू संचालन के लए वश्वसनीय वद्युत इंफ्रास्ट्रक्चर अपरिहार्य है। वर्तमान में, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में ऊर्जा का मुख्य स्रोत डीजल जेनरेटिंग सेट हैं। इस वद्युत संयंत्र का प्राथ मक उद्देश्य बिना कसी व्यवधान के उच्च गुणवत्ता वाली और वश्वसनीय वद्युत ऊर्जा प्रदान करना है। इस प्रणाली को इस प्रकार डजाइन कया गया है क कसी एक मुख्य पुर्जे के खराब होने पर भी बिजली की आपूर्ति निरंतर बनी रहे। इसके अतिरिक्त, ऊर्जा उत्पादन बढ़ाने के लए अक्षय ऊर्जा स्रोतों की भी योजना बनाई जाएगी। निर्बाध ऊर्जा आपूर्ति द्वीप की जीडीपी में वृद् ध सुनिश्चित करने वाला एक प्रमुख कारक है।

परियोजना का सामरिक और आ र्थक महत्व

ग्रेट निकोबार परियोजना को तीन अलग-अलग चरणों में कार्यान्वित कया जा रहा है -

- चरण I (2025-35, 72.12 वर्ग कमी),
- चरण II (2036-41, 45.27 वर्ग कमी),
- चरण III (2042-47, 48.71 वर्ग कमी)

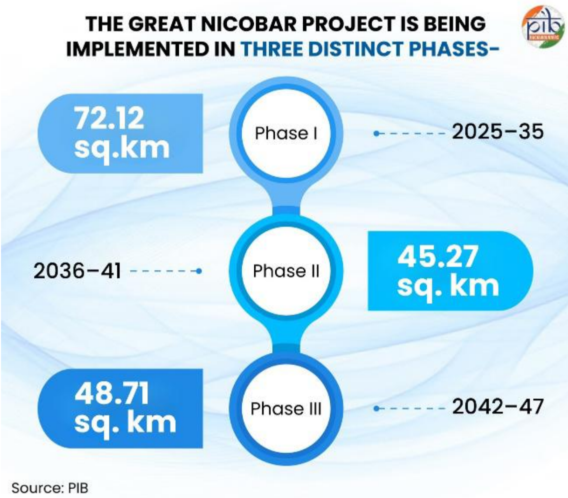

यह परियोजना कुल **166.10** वर्ग कलोमीटर क्षेत्र में वस्तृत है, जिसमें **35.35** वर्ग कलोमीटर राजस्व भू म और **130.75** वर्ग कलोमीटर वन भू म सम्मि लत है। यह चरणबद्ध ष्टिकोण न केवल व्यवस्थित बुनियादी ढांचे के वकास को संभव बनाता है, बल्कि यह भी सुनिश्चित करता है क प्रत्येक चरण में पर्यावरणीय सुरक्षा उपायों और जनजातीय कल्याण संबंधी उपायों को प्रभावी ढंग से एकीकृत कया जाए।

इस परियोजना के सामरिक और आ र्थक महत्व को हिंद महासागर क्षेत्र (आईओआर) में ग्रेट निकोबार को एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में स्था पत करने की आवश्यकता से बल मलता है। इस परियोजना में जमीन का सही इस्तेमाल करने और पर्यावरण का पूरा ख्याल रखने पर जोर दिया गया है, ता क आने वाले समय में इस पूरे इलाके को बड़ा फायदा मल सके। साथ ही, इस काम में पर्यावरण से जुड़े सभी नियमों (ईआईए) और कानूनी स्वीकृतियों का पूरी तरह पालन कया जा रहा है।

सतत वकास के लए प्राकृतिक संसाधनों का सही ढंग से उपयोग सुनिश्चित करने हेतु पर्यावरण प्रभाव आकलन (ईआईए) एक प्रमुख साधन है। ईआईए अ धसूचना, 2006 के नियमों के अनुसार, वशेष श्रे णयों की परियोजनाओं के लए यह प्र क्रया अनिवार्य है। अलग-अलग क्षेत्रों की वशेषज्ञ स मतियाँ

परियोजना के प्रस्तावों की गहराई से जाँच करती हैं, पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभावों का आकलन करती हैं और उसी आधार पर परियोजना को मंजूरी देने या न देने की अनुशंसा करती हैं।

ग्रेट निकोबार द्वीप परियोजना का पर्यावरण प्रभाव आकलन

- परियोजना ने स्क्रीनिंग (छंटनी), स्को पंग (कार्य-क्षेत्र निर्धारण), जन-परामर्श और मूल्यांकन की एक वस्तृत प्र क्रया के बाद, 'ईआईए अ धसूचना, 2006' के तहत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त कर ली है।
- पर्यावरणीय स्वीकृति में वायु, जल, ध्वनि, अप शष्ट प्रबंधन, समुद्री पारिस्थितिकी, मानव स्वास्थ्य और आपदा प्रबंधन से संबं धत 42 व शष्ट शर्तें सम्मि लत हैं, जिन्हें एक सशक्त पर्यावरण प्रबंधन योजना (ईएमपी) के माध्यम से क्रयान्वित कया जाएगा।
- भारतीय प्राणी सर्वेक्षण (जेडएसआई), सलीम अली पक्षी वज्ञान और प्राकृतिक इतिहास केंद्र (सैकॉन), भारतीय वन्यजीव संस्थान (डब्ल्यूआईआई) और भारतीय वज्ञान संस्थान (आईआईएससी) जैसे वशेषज्ञ संस्थानों ने इस संबंध में वस्तृत अध्ययन कए हैं। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण (जेडएसआई) ने स्पष्ट कया है क उ चत सुरक्षा उपायों के साथ इस परियोजना को आगे बढ़ाया जा सकता है।
- प्रदूषण नियंत्रण, जैव व वधता संरक्षण, और शोंपेन एवं निकोबारी समुदायों के कल्याण की निगरानी हेतु तीन स्वतंत्र निगरानी स मतियों का गठन कया गया है। स मतियाँ इस प्रकार हैं:
    - (i) प्रदूषण संबंधी मामलों की निगरानी हेतु स मति
    - (ii) जैव व वधता संबंधी मामलों की निगरानी हेतु स मति
    - (iii) शोंपेन और निकोबारी समुदायों के कल्याण एवं उनसे जुड़े मुद्दों की निगरानी हेतु स मति
- अंडमान एवं निकोबार प्रशासन के मुख्य स चव की अध्यक्षता में एक सर्वोच्च स मति का गठन कया गया है, ता क सभी हितधारकों के बीच ईसी और सीआरजेड की शर्तों का समन्वित कार्यान्वयन सुनिश्चित कया जा सके। यह स मति निरीक्षण, निगरानी और अंतर-संस्थागत समन्वय के लए एक केंद्रीय तंत्र के रूप में कार्य करती है।

पर्यावरणीय सुरक्षा उपाय और वन क्षेत्र को होने वाली क्षति की भरपाई

परियोजना को अंतिम मंजूरी मलने से पहले, इसे कई स्तरों पर कड़ी वैधानिक जांच से गुजरना पड़ा है। इसी प्र क्रया के तहत एक वस्तृत पर्यावरण प्रबंधन योजना (ईएमपी) तैयार की गई है, जो निर्माण

से लेकर परियोजना के संचालन तक—हर चरण में पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभावों को कम करने के ठोस उपायों की रूपरेखा प्रस्तुत करती है।

पर्यावरण प्रबंधन योजना (ईएमपी) एक ऐसा व्यापक खाका है जो प्रस्ता वत परियोजना के साथ सतत वकास सुनिश्चित करता है। इसमें उद्योग, सरकार, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और स्थानीय नागरिकों की स क्रय भागीदारी निहित है, ता क वकास और प्रकृति के बीच एक आदर्श सामंजस्य बना रहे।
इसमें पर्यावरणीय प्रभावों को न्यूनतम करने के उपाय कए गए हैं। नुकसान को कम करने की प्र क्रया सीधे इसके स्रोत और परियोजना स्थल, दोनों स्तरों पर की जा रही है। परियोजना के संचालन के दौरान, ईएमपी का मुख्य फोकस आ र्थक वकास की गति को तेज करने के साथ-साथ पर्यावरण पर पड़ने वाले निरंतर प्रभावों को न्यूनतम करने पर केंद्रित रहता है।

ग्रेट निकोबार परियोजना के अंतर्गत पर्यावरणीय संतुलन को सर्वोच्च प्राथ मकता दी गई है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना के लए अंडमान और निकोबार द्वीपों के कुल वन क्षेत्र का मात्र **1.82** प्रतिशत हिस्सा ही उपयोग में लाया जाएगा। चन्हित क्षेत्र में वृक्षों की अनुमानित संख्या 18.65 लाख है, कंतु सरकार ने इसे न्यूनतम रखने का प्रयास कया है और अ धकतम 7.11 लाख वृक्ष ही काटे जाने की संभावना है, जो 49.86 वर्ग कमी वन क्षेत्र में वस्तृत हैं। वृक्षों की यह कटाई एक साथ न होकर, व भन्न परियोजनाओं के चरणबद्ध वकास के अनुरूप क्रमबद्ध तरीके से की जाएगी। पर्यावरणीय संतुलन सुनिश्चित करने हेतु 65.99 वर्ग कमी क्षेत्र को 'ग्रीन जोन' के रूप में संर क्षत रखा जाएगा, जहाँ एक भी पेड़ नहीं काटा जाएगा। चूँ क द्वीपों पर पहले से ही **75** प्रतिशत से अ धक वन क्षेत्र उपलब्ध है, अतः नियमों के अनुसार वन क्षेत्र को होने वाली क्षति की भरपाई का कार्य हरियाणा में कया जा रहा है। इसके लए प्रथम चरण के 48.65 वर्ग कलोमीटर वन डायवर्जन के बदले हरियाणा में **97.30** वर्ग कलोमीटर भू म को वनीकरण हेतु चन्हित कया गया है। पर्यावरण संरक्षण के प्रति अपनी अटूट प्रतिबद्धता दोहराते हुए, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 'एक पेड़ माँ के नाम' अ भयान के अंतर्गत अब तक 2.4 म लयन पौधे रोपे जा चुके हैं।

जनजातीय कल्याण एवं सामाजिक सरोकार

ग्रेट निकोबार द्वीप समूह, मंगोलॉयड मूल की दो प्रमुख जनजातियों का निवास स्थल है। यहाँ शोंपेन समुदाय (लगभग 237 सदस्य) निवास करते हैं, जो मुख्य रूप से शकार और संग्राहक हैं। इनके साथ ही यहाँ निकोबारी समुदाय (लगभग 1,094 सदस्य) भी रहते हैं, जो तटीय बस्तियों में बसे हुए हैं और अपनी आजी वका के लए मुख्य रूप से मछली पकड़ने पर निर्भर हैं। ग्रेट निकोबार परियोजना की रूपरेखा अत्यंत सूक्ष्मता और संवेदनशीलता के साथ तैयार की गई है, ता क यह सुनिश्चित हो सके क निकोबारी और शोंपेन समुदायों को अपने मूल स्थान से वस्था पत न होना पड़े। परियोजना क्षेत्र के

भीतर जनजातीय आवास केवल न्यू चंगेन और राजीव नगर में स्थित हैं और प्रशासन ने आ धकारिक तौर पर यह स्पष्ट कर दिया है क इन समुदायों के पुनर्वास या वस्थापन का कोई भी प्रस्ताव नहीं है।

ग्रेट निकोबार परियोजना, शोंपेन नीति **2015** और जरावा नीति **2004** के सद्धांतों के पूरी तरह अनुरूप है। ये नीतियां यह अनिवार्य करती हैं क कसी भी बड़े स्तर के वकास प्रस्ताव में 'वशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों' (पीवीटीजी) के कल्याण और उनकी अखंडता को सर्वोपरि प्राथ मकता दी जाए तथा एक व्यवस्थित परामर्श प्र क्रया का पालन कया जाए। जनजातीय हितों की सुरक्षा हेतु, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा एक 'स्वतंत्र निगरानी स मति' का गठन अनिवार्य कया गया है। यह स मति निर्माण और संचालन—दोनों चरणों के दौरान शोंपेन और निकोबारी समुदायों को प्रभा वत करने वाले वषयों की कड़ी निगरानी करेगी। इसके अतिरिक्त, समुदायों की सुरक्षा, संरक्षण और सर्वांगीण कल्याण सुनिश्चित करने के लए जनजातीय कार्य मंत्रालय, जनजातीय कल्याण निदेशालय, अंडमान आदिम जनजाति वकास स मति (एएजेवीएस) और भारतीय मानव वज्ञान सर्वेक्षण (एएनएसआई) जैसे वशेषज्ञ संस्थानों के साथ वस्तृत परामर्श कया गया है।

परियोजना के कार्यान्वयन का ढांचा सं वधान के अनुच्छेद 338ए (9) के प्रावधानों के पूर्णतः अनुरूप है, जिसमें क्षेत्र के अनुसू चत जनजातियों और' वशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के हितों के संरक्षण पर वशेष बल दिया गया है। महत्वपूर्ण बात यह है क अंडमान और निकोबार द्वीप समूह प्रशासन ने इस वकास परियोजना के क्रयान्वयन के अतिरिक्त इन जनजातियों को प्रभा वत करने वाला कोई भी नया नीतिगत कदम नहीं उठाया है। यह इस तथ्य को पुष्ट करता है क पूरी योजना प्र क्रया के केंद्र में जनजातीय अ धकार और उनका कल्याण सर्वोपरि बना हुआ है।

वर्तमान में, ग्रेट निकोबार द्वीप का **751.070** वर्ग कमी क्षेत्र आ धकारिक रूप से *'जनजातीय आर क्षत क्षेत्र'* के रूप में चन्हित है। वकास परियोजनाओं के लए प्रस्ता वत कुल **166.10** वर्ग कमी भू म में से, **84.10** वर्ग कमी क्षेत्र जनजातीय आर क्षत क्षेत्र के अंतर्गत आता है। हालां क, इस हिस्से में से **11.032** वर्ग कमी भू म का वर्ष **1972** से ही निय मतीकरण कया जा चुका है और इसे 'राजस्व भू म' के रूप में उपयोग कया जा रहा है। परिणामस्वरूप, प्रभावी रूप से शेष **73.07** वर्ग कमी क्षेत्र को परियोजना के उद्देश्यों हेतु डी-नोटिफाई कया जा रहा है। इसकी क्षतिपूर्ति के लए**, 76.98** वर्ग कमी नई भू म को पुनः **'**जनजातीय आर क्षत क्षेत्र**'** के रूप में अ धसू चत कया जा रहा है। इस प्रकार, जनजातीय आर क्षत क्षेत्र में **3.912** वर्ग कमी की शुद्ध वृद् ध होगी। वशेष रूप से, पहले चरण में केवल **40.01** वर्ग कमी जनजातीय क्षेत्र परियोजना में शा मल है, जिसमें से **11.032** वर्ग कमी भू म **1972** से ही राजस्व उपयोग के अधीन है।

जो खम मूल्यांकन एवं आपदा प्रबंधन

भौगो लक रूप से यह द्वीप भूकंपीय ष्टि से संवेदनशील और चक्रवात संभा वत क्षेत्र में स्थित है। इसे ध्यान में रखते हुए, एक व्यापक जो खम आकलन अध्ययन कया गया है, जिसमें प्राकृतिक आपदाओं (सुनामी, भूकंप, चक्रवात) के साथ-साथ मानव-जनित जो खमों (औद्यो गक खतरे, दुर्घटनाएं) को भी शा मल कया गया है। आपात स्थितियों के लए पूर्ण तैयारी सुनिश्चित करने हेतु एक संवेदनशीलता एवं आपदा प्रबंधन योजना तैयार की गई है। इसके अतिरिक्त, गैस और सौर ऊर्जा पर आधारित एक हाइब्रिड पावर प्लांट की स्थापना की जा रही है। यह न केवल कार्बन उत्सर्जन को कम करेगा, बल्कि कसी भी संकट की स्थिति में बिजली आपूर्ति की निरंतरता और आपदा-सक्षमता सुनिश्चित करेगा।

निष्कर्ष

ग्रेट निकोबार परियोजना इस बात का एक उत्कृष्ट उदाहरण है क कस प्रकार समग्र वकास के माध्यम से आ र्थक प्रगति, पर्यावरणीय संरक्षण और सामाजिक समावेश के बीच एक आदर्श संतुलन स्था पत कया जा सकता है। यह परियोजना हिंद-प्रशांत क्षेत्र में भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा, समुद्री उपस्थिति और रणनीतिक पहुंच को मजबूत करने के लए ग्रेट निकोबार की महत्वपूर्ण स्थिति का लाभ उठाती है और साथ ही, इसमें पर्यावरण सुरक्षा और जनजातीय कल्याण के प्रभावी सुरक्षा तंत्र को भी समाहित कया गया है। वन्यजीव संरक्षण, वन क्षेत्र को होने वाली क्षति की भरपाई, आपदा आपदा की तैयारी और सामाजिक समावेश के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के माध्यम से, सरकार ने यह सद्ध कर दिया है क वकास का मार्ग पर्यावरण की कीमत पर नहीं, बल्कि उसके साथ समन्वय बिठाकर प्रशस्त कया जा सकता है।

अंततः, यह परियोजना पर्यावरणीय रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में भ वष्य की बड़े स्तर की इन्फ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं के लए एक आदर्श मॉडल प्रस्तुत करती है। यह सद्ध करती है क अर्थव्यवस्था और पर्यावरण एक-दूसरे के वरोधी नहीं, बल्कि एक-दूसरे के पूरक बन सकते हैं, ता क राष्ट्रीय और वैश्विक हितों की सर्वोत्तम सेवा की जा सके।

संदर्भ सूची:

नीति आयोग

- https://environmentclearance.nic.in/DownloadPfdFile.aspx?FileName=fg7xmKEWwhaZLSqjiF3GAQwWBxq9FYi8xjemfmi+L+fUHEb6BwvC1ZLRYXfJF5feDznQxwlGivy8CUTMhfdvQxoChC4/DG7U5+hHDYQvCqU=&FilePath=93ZZBm8LWEXfg+HAlQix2fE2t8z/pgnoBhDlYdZCxzWF1OLE6RXe5MiAhSH8vdQ1

पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी)

- https://www.pib.gov.in/PressReleseDetailm.aspx?PRID=2165915&reg=3&lang=2
- https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1894045&reg=3&lang=2
- https://www.pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=1979157&reg=3&lang=2
- https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2043002&reg=3&lang=2
- https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2076917&reg=3&lang=2#:~:text=Independent%20organization%20with%20specialized%20skill,dated%2003/04/2023
- https://www.pib.gov.in/PressReleseDetailm.aspx?PRID=2211146&reg=3&lang=1#:~:text=Union%20Home%20Minister%20said%20that%20be%20it%20tourism%20or%20environment,of%20the%20Swachh%20Bharat%20Mission

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

- https://moef.gov.in/environmental-impact-assessment-eia

अन्य:

- https://shipmin.gov.in/sites/default/files/Annual%20Report%202024-25%20-%20English.pdf

पीआईबी रिसर्च

****

पीके/केसी/डीवी